

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224577
SG-DL-E-20012021-224577

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2021/पौष 29, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 279
No. 19]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2021/PAUSHA 29, 1942	[N. C. T. D. No. 279

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सं.फा. 82/1180/एस. ए. बी. आर.पी.डब्ल्यू.डी, एक्ट 2016/एडी-III/डीएसडब्ल्यू/2018/5740.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. का. आ. 3870 (अ.) के साथ पठित विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 101 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, उक्त अधिनियम में दी गई शक्तियों तथा इससे जुड़े कार्यों का निष्पादन हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड, दिव्यांगता का गठन करती है। अधिकारिक गजट में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी।

बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा : —

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की संबंधित धारा
01	माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार	अध्यक्ष, पद के अनुसार	धारा 66 (2) (a)
02	प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग		
03	प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग		

04	प्रधान सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य, पद के अनुसार	धारा 66 (2) (c)
05	प्रधान सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग		
06	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
07	प्रधान सचिव/सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग		
08	प्रधान सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग		
09	प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग		
10	प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
11	प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षण एवं प्रशिक्षण विभाग		
12	प्रधान सचिव/सचिव, सेवा विभाग		
13	विकास आयुक्त		
14	प्रधान सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग		
15	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग		
16	प्रधान सचिव/सचिव, प्रशिक्षण निदेशालय (यूटीसीएस)		
17	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग		
18	प्रबंधक निदेशक, दिल्ली एस सी, एस टी, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांग वित्त विकास कॉर्पोरेशन		
19	श्री प्रवीण कुमार	चयनित सदस्य, (माननीय विधायक)	धारा 66 (2) (d)
20	श्री शरद कुमार		
21	श्री एस के बग्गा		
22	डॉ. के. आनंद भट्ट	नामित सदस्य	धारा 66 (2) (e) (i)
23	सुश्री प्रीती मोंगा		
24	सुश्री वीना भारद्वाज		
25	श्री राकेश कुमार झा		
26	श्री नंद लाल		
27	उपायुक्त (राजस्व), जिला दक्षिण	राजस्व जिले के प्रतिनिधि	धारा 66 (2) (e) (ii)
28	उपायुक्त (राजस्व), जिला पूर्व		
29	उपायुक्त (राजस्व), जिला पश्चिम		
30	उपायुक्त (राजस्व), जिला उत्तर		
31	उपायुक्त (राजस्व), जिला उत्तर पूर्व		
32	श्रीमति राधिका एम. अलकाजी	नामित सदस्य	धारा 66 (2) (e) (iii)
33	सुश्री निकिता सराह		
34	सुश्री बबीता (एस सी नामांकित)		
35	श्री प्रदीप सागर (एस सी नामांकित)		
36	सुश्री समिता कनौजिया		
37	श्री सतेन्द्र टोंगर		
38	श्री सुमित भोजगी		
39	श्री अजित पाल सिंह		
40	श्री संजय खान		
41	श्रीमति सुनीता चौहान		
42	श्री मंजुल	नामित सदस्य	धारा 66 (2) (e) (iv)
43	श्री मनोज कुमार		
44	श्री भूपेश रतावल		
45	सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य सचिव	धारा 66 (2) (f)

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार के आदेश से

डॉ रश्मि सिंह, निदेशक

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 19th January, 2021

F.No. 82/1180/SAB-RPwDAct2016/AD-III/DSW/2018/5740.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 66 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O.3870(E) dated 12th December, 2017, Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the State Advisory Board on Disability, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it, under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of its notification in the Official Gazette.

The constitution of the board shall be as under:-

Sr. No.	Name of Members	Designation	Concerned Section of RPwD Act, 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Hon'ble Minister, Social Welfare, Govt of NCT of Delhi	Chairperson Ex-Officio	Section 66 (2) (a)
(2)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Social Welfare	Ex-Officio Members	Section 66 (2) (c)
(3)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Education		
(4)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Higher Education		
(5)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Women & Child Development		
(6)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Health & Family Welfare,		
(7)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Labour & Employment		
(8)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Urban Development		
(9)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Transport		
(10)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Information Technology		
(11)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Training & Technical Education		
(12)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Services		
(13)	Development Commissioner		
(14)	Pr. Secretary/Secretary, Public Works Department		
(15)	Pr. Secretary/Secretary, Dept. of Finance		
(16)	Pr. Secretary/Secretary, Directorate of Training (UTCS)		
(17)	Pr. Secretary/Secretary, Department of Industries		
(18)	Managing Director, Delhi SC, ST, OBC, Minorities and Handicapped Finance Development Corporation (DSHFDC)		
(19)	Sh.Praveen Kumar	Elected Members (Hon'ble MLA)	Section 66 (2) (d)
(20)	Sh.Sharad Kumar		
(21)	Sh.S.K.Bagga		
(22)	Dr. K. Anand Bhatt	Nominated Members	Section 66 (2) (e) (i)
(23)	Ms. Preeti Monga		
(24)	Smt. Veena Bharadwaj		
(25)	Sh. Rakesh Raman Jha		
(26)	Sh. Nand Lal		
(27)	Dy. Commissioner(R)District South		

(28)	Dy. Commissioner(R)District East	Nominated Members (Revenue District Representatives)	Section 66 (2) (e) (ii)
(29)	Dy. Commissioner(R)District West		
(30)	Dy. Commissioner(R)District North		
(31)	Dy. Commissioner(R)District North-East		
(32)	Smt. Radhika M. Alkazi	Nominated Members	Section 66 (2) (e) (iii)
(33)	Ms. Nikita Sarah		
(34)	Ms. Babita (SC Nominee)		
(35)	Sh. Pradeep Sagar (SC Nominee)		
(36)	Ms. Smita Khanijow		
(37)	Sh. Satender Tonger		
(38)	Sh. Sumit Bhojgi		
(39)	Sh. Ajit Pal Singh		
(40)	Sh. Sanjay Khan		
(41)	Smt. Sunita Chauhan		
(42)	Sh. Manjul		
(43)	Sh. Manoj Kumar	Nominated Members	Section 66 (2) (e) (iv)
(44)	Sh. Bhupesh Ratawal		
(45)	Secretary, Social Welfare	Member Secretary	Section 66 (2) (f)

By Order and in the Name of the
Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, Director